

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-22.10.18

संख्या-12/प0-(मू0को0)-407/14-सा0प0-13944 /बिहार प्रशासनिक सेवा के के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, को० क० एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री सत्येन्द्र प्रसाद, 1391/11, पश्चिम चंपारण	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर।	उप सचिव (अपने वेतनमान में), वाणिज्य कर विभाग, पटना।
2	श्री राज किशोर लाल, 1132/11, बक्सर	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। (उप सचिव स्तर में उत्कृष्ट)

2. श्री राज किशोर लाल को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।
3. क्रमांक-1 पर अंकित पदाधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन के निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0)-407/14-सा0प0-13944 /पटना-15, दिनांक- 22.10.18
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषांग/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव